अत्यावश्यक

पंचायत उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-24/2023 – 4140

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक – 9.12.2023

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का उप-निर्वाचन, 2023 – वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 3151 दिनांक 18.08.2021, पत्रांक 3351 दिनांक 28.08.2021, पत्रांक 3969 दिनांक 15.09.2021 एवं पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्न प्रासंगिक पत्रों द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं पंचायत उप निर्वाचन माह मई, 2023 के निमित्त मतदान हेतु कमीशन्ड ई.वी.एम., वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये थे, जिसे सुलभ सन्दर्भ हेतु संबंधित पत्र संलग्न किये गये हैं :-

क्रमांक	पत्रांक/दिनांक		विषय
1.	3151 दिनांक 18.08.2021	–	ई.वी.एम. की कमीशनिंग के चरण एवं कमीशनिंग के अवसर पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।
2.	3351 दिनांक 28.08.2021	–	मतदान हेतु कमीशन्ड ई.वी.एम. हेतु वज्रगृह तथा पोल्ड ई.वी.एम. को रखने हेतु वज्रगृह की स्थापना के संबंध में।
3.	3969 दिनांक 15.09.2021	–	वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।
4.	1781 दिनांक 19.05.2023	–	अभ्यर्थिता वापसी उपरान्त मतदान हेतु ई.वी.एम. कमिशनिंग कराने के संबंध में।

आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का निर्देश है, जिसकी कंडिका 2 में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना संबंधित प्रखंड मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा, संबंधी निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के क्रम में आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि –

1. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं पंचायत उप निर्वाचन मई, 2023 के निमित्त उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन पंचायत उप निर्वाचन, 2023 में भी किया जायेगा।

9.12.23

2. जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस बात पर स्वयं संतुष्ट हो लें कि वह अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक हो।

3. बज्रगृह पक्के मकान में अवस्थित है या नहीं इसकी जाँच करा लें।

4. वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र एक ही परिसर में अवस्थित हो।

5. वज्रगृह से मतगणना हॉल तक पदवार ई.वी.एम. आदि ले जाने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होने पाये। साथ ही ब्रजगृह एवं मतगणना केन्द्र यथासंभव एक दूसरे के आसपास हो ताकि बज्रगृह से पदवार ई.वी.एम. को मतगणना केन्द्र पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हो।

6. वज्रगृह/मतगणना केन्द्र परिसर में आवश्यक व्यवस्था यथा– सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण एवं इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिवीटी सुनिश्चित की जाय।

7. मतगणना केन्द्र से संबंधित नक्शा (Map) नमूना के तौर पर संलग्न किये गये हैं, के अनुसार वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र योजना संबंधी नक्शा आयोग को **दिनांक 13.12.2023 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

9/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-240/2023 - 4140 पटना, दिनांक - 9.12.2023

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

9/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-24/2023 - 4140 पटना, दिनांक - 9.12.2023

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-24/2023 - 4140 पटना, दिनांक - 9.12.2023

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/23

संयुक्त सचिव।